

मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। इस कहानी का नायक समीह सांप्रदायिकता शिकार है। उसके माता-पिता की हत्या हो जाती है, घर अवैद्य कब्जा किया जाता है। समीह अपना नाम लछमन प्रसाद बताता है। अब उसे लच्छू के नाम से बुलाते हैं। जब यह भेद खुलता है कि लच्छू इस घर के मालिक का बेटा है समीह है, उसकी बुरी तरह पिटाई होती है। 'मेरा घर कहाँ' कहानी की लाली, धोबिन, सोना, ननक ऐसे पात्रों के नाम हैं, जो मुस्लिम हैं किन्तु उनके नाम मुस्लिम जैसे नहीं हैं। सोना अपने दूर के चाचा रहमान का पता पछती है, उसे कोई जानता नहीं था। आखिर थक कर वह पेड़ के नीचे बैठ गयी, जिसके पास किसी घनश्याम धोबी का अड्डा था।¹¹ नासिरा शर्मा जी सांप्रदायिक समस्या को 'सरहद के इस पार' कहानी में चित्रित किया। सांप्रदायिक दंगों में कहानी का नायक रेहान पागल होकर हिन्दुओं को गालियाँ देने लगता है। "मारो सारे हिन्दुओं को, गल्ले दबादो इनके। साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो जाकर पूछो इनसे, तुम्हारे बाप-दादा इसी धरती के अगोरा में गड़े है। सबूत चाहिए तो जाकर देखो हमारे कब्रिस्तान सबके सब मौजूद है वहाँ। खुद गद्दार है और हम पर इल्जाम लगाते हैं। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूँढा है। आखिर कहे भी क्या? मारो सब कातिलों को मारो। खून की नदियाँ बहा दो मार - मारकर।"¹² 'सबीना के चालीस चोर' कहानी में भी सांप्रदायिकता एवं बंटवारा दिखाई पड़ता है। रंगास्वामी तेजी से बोलते हैं कि "मैं तो कहता हूँ... बंट जाने दो इस हिन्दुस्तान को..... यह अखण्डता ही हमारी मूसीबत बन गई है। जब हम साथ रहना नहीं चाहते और सरकार भी दंगों - फसादों की बैसाखी पर खड़ी है तो फिर यह दिखावा क्यों? इतिहास को तोड़ते-मरोड़ने की जरूरत क्यों? इतिहास को ही टुकड़ों में काटके रख दो?"¹³ नासिरा जी ने न केवल सांप्रदायिकता को उजागर किया, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। वह लिखती है "यह जिम्मेदारी देश के जवान माँ - बाप पर है कि वे अपने नये जन्मे बच्चे को ऐसा संस्कार दें, जो वह पहले हिन्दुस्तानी बने बाद में हिन्द-मुसलमान। इससे दंगे - फसाद खत्म होंगे।"¹⁴ यदि हम एक दूसरे के धर्म को समझ कर आपस में लड़ना बंद कर दें तो निश्चित रूप से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

संदर्भ :

1. एक दुनिया समानांतर - राजेन्द्र यादव - पृ - २७
2. डॉ.शशि तिवारी - भारतीय धर्म और संस्कृति - पृ - ४७
3. एक दुनिया समानांतर - राजेन्द्र यादव - पृ - २०
4. गांधी और सांप्रदायिक एकता - सुनील कुमार अग्रवाल - पृ - क्र - viii
5. रुबीना के चालीस चोर - नासिरा शर्मा - पृ - १६०
6. रुबीना के चालीस चोर - नासिरा शर्मा - पृ - १६३
7. इब्ने मरियम - नासिरा शर्मा - पृ - १७
8. रुबीना के चालीस चोर - नासिरा शर्मा - पृ - १८४
9. इंसानी नस्ल - नासिरा शर्मा - पृ - 16
10. खुदा की वापसी - नासिरा शर्मा - पृ - १५२
11. कहानी संग्रह -१ - नासिरा शर्मा - १९७
12. कहानी संग्रह -२ - नासिरा शर्मा - ३५९
13. राष्ट्र और मुसलमान - नासिरा शर्मा - पृ - १७

पैरोल एक सुविधा (सतना केंद्रीय जेल के संदर्भ में)

डॉ. पूनम शर्मा

अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र)

शा.महाविद्यालय जैतपुर, जिला -शहडोल (मध्य -प्रदेश)

पैरोल एक कानूनी सुविधा है जिसका उपयोग दंड और सजा की अवधि के बाद किसी कारागार के दोषी को समाज में पुनः शामिल करने के लिए किया जाता है। पैरोल का उद्देश्य यह होता है कि यह किसी व्यक्ति को समाज एवं परिवार में जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। पैरोल के तहत दोषी को 2 वर्ष के बाद अच्छे आचरण होने पर अस्थाई रूप से रिहा किया जाता है लेकिन वह अपने वास्तविक कार्य और सामाजिक जीवन के कुछ शर्तों का पालन करने के लिए अपनी आदतों में सुधार करते हैं यह शर्तें जैसे -कि वे नियमों और कानून का पालन करें, समाज में अच्छे तरीके से व्यवहार करें और जेल अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसे प्रक्रिया में है। पैरोल का उद्देश्य होता है कि परिवार एवं समाज से मिलने की प्रक्रिया को सहयोग और निगरानी के साथ संचालित करना ताकि दोषी बंदी फिर से समाज में सफलता प्राप्त कर सके और समाज की सुरक्षा बनी रहे। पैरोल की आवश्यकता एक बंदी को क्यों होती है कुछ लोगों का अध्ययन मैंने केंद्रीय जेल सतना से लेने का प्रयास किया जिसमें प्रमुख रूप से कल्याण अधिकारी श्री अनिरुद्ध कुमार तिवारी केंद्रीय जेल सतना ने संक्षेप में जानकारी प्रदान की जो बहुत कारगर सिद्ध हुई इस शोध पत्र को लिखने में इनसे बात करने पर यह ज्ञात होता है कि बंदियों को पैरोल की आवश्यकता क्यों होती है जिसमें यह ज्ञात हुआ कि हम बंदियों को सामाजिक धारा से जोड़ना चाहते हैं। मैंने अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया जो सतना जेल में पदस्थ हैं। जिसको मैं इस शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। मध्य प्रदेश की जेलें जिनमें दंडित- विचाराधीन बंदी अपने अपराधों की सजा भुगतते हैं। मध्य प्रदेश की जेल सुधारात्मक संस्था भी है। जिनमें बंदियों को विभिन्न प्रशिक्षण, स्कूल एवं उच्च शिक्षा साथ ही नैतिक शिक्षा प्रदान कर चरित्र सुधार व आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है इसी क्रम में बंदियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पैरोल (अवकाश)का लाभ भी दिया जाता है। बंदी वर्षों तक जेल में रहकर अपनी सजा भुगतते हैं जिससे वह अपने परिवार, समाज, क्षेत्र के रहन-सहन में प्रगतिशील परिवर्तन से अनजान हो जाते हैं। परिवारजनों से फोन पर बात व सीमित मुलाकात उन्हें कुछ -राहत अवश्य देती है लेकिन समाज व परिवार की बदलती परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने बंदियों को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैरोल (अवकाश)की व्यवस्था की है। बंदी अधिनियम 1985 व मध्य प्रदेश बंदी छुट्टी नियम- 1989 के अनुसार छुट्टी (अवकाश)की व्यवस्था की गई है पैरोल (अवकाश)के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र में नियम उल्लेखित किए गए हैं। पैरोल (अवकाश)जिसे अस्थाई मुक्ति अवकाश भी कहा जाता है। यह व्यवस्था सिर्फ दंडित बंदियों के लिए की गई है। ऐसे दंडित बंदी जिन्हें कम से कम 3 वर्ष की सजा पड़ी हो साथ ही उसने परिहार मिलाकर कम से कम 02 वर्ष की सजा भुगत ली हो तो वह अवकाश के लिए पात्र होंगे। बंदी का जेल में आचरण अच्छा होने पर ही अवकाश संबंधी प्रक्रिया में बंदी का आवेदन लिया जाता है दंडित बंदी को सामान्य /आपात अवस्था अवकाश की पात्रता होती है। सर्वप्रथम

बंदियों का अवकाश आवेदन बंदी के समीप डीएम कार्यालय /जिला मजिस्ट्रेट को अग्रप्रेषित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट यदि बंदी का अवकाश प्रकरण अस्वीकृत कर देते हैं तो बंदी पैरोल अपील महानिदेशक जेल द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाता है अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। महानिदेशक जेल मुख्यालय भोपाल से बंदी का अवकाश प्रकरण अस्वीकृत होने पर यदि बंदी चाहे तो अपनी अपील मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग को भी प्रेषित कर सकता है। मध्य प्रदेश के अन्य जेलों के साथ ही केंद्रीय जेल सतना में परिरुद्ध बंदी भी पैरोल (अवकाश) का लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय जेल सतना में वर्तमान या आज की स्थिति में 1322 पुरुष दण्डित बंदी और 47 महिला दण्डित बंदी परिरुद्ध है इनमें 512 दण्डित पुरुष बंदी और 20 दण्डित महिला बंदी अवकाश का लाभ ले रहे हैं। कुल 532 पैरोल का लाभ ले रहे हैं दण्डित पुरुष या महिला बंदियों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका अन्य प्रकरण लंबित है जिसके कारण ऐसे बंदी अवकाश के लिए पात्र नहीं है। बंदी वर्ष भर में तीन बार (14+02) अवकाश पर अपने गृह निवास / स्थल जाते हैं अवकाश का उपभोग कर लेने के बाद ये निर्धारित समय पर जेल में वापिस आमद करा देते हैं बंदी पैरोल (अवकाश) का लाभ जमानतदारों की सुपुर्दगी में ही छोड़े जाते हैं विधिवत तहसील कार्यालय से जमानतदारों के 50,000/-पचास हजार रुपए का बंध पत्र निष्पादित किया जाता है। बंदी पैरोल के लिए नियुक्त जमानतदार पूर्णतः जिम्मेदार होता है। बंदियों के पैरोल (अवकाश) पर जाने से जेल के वातावरण में बड़ा सुधार देखने को आया है। बंदी अनुशासन में रहकर जेल में अपनी शेष सजा भुगत रहे हैं। बंदियों के मध्य आपसी मन-मुटाव या अन्य व्यक्ति या क्षेत्रीय कारणों से लड़ाई झगड़ा हो जाता था कभी-कभी गैंगवार जैसी स्थिति भी निर्मित हो जाती थी। पैरोल (अवकाश) जाने से पैरोल पर जाने वाला बंदी ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होता है क्योंकि यदि बंदी लड़ाई झगड़े या किसी संदिग्ध स्थिति में पाया जाता है तो उसका पैरोल अवकाश 01 वर्ष के लिए रोक दिया जाता है यदि बहुत ही बड़ा जेल अपराध या (अवकाश) पैरोल में कोई भी अपराध दर्ज हो जाता है तो उस बंदी का पैरोल हमेशा के लिए रोक दिया जाता है। इसलिए जो बंदी (अवकाश) पैरोल का लाभ ले रहे हैं व जेल में रहते हुए किसी भी अपराध में संलग्न नहीं होते हैं लड़ाई -झगड़ा तो दूर वे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था में शामिल नहीं होते हैं वरन् जेल की संचालन व्यवस्था में अपना अधिक से अधिक योगदान देते हैं उनके अंदर धैर्य, सहनशीलता और जिम्मेदारी निर्वहन का गुण विकसित होने लगता है। पैरोल का लाभ लेने वाले बंदी अपने परिवार जनों, परिचितों से मिलकर काफी राहत महसूस करते हैं समाज के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से परिचित होते हैं। अवकाश में अवधि में बंदीगण परिवार जनों द्वारा दिए जा रहे रोजगार में हाथ बटाते हैं और परिवार को आर्थिक सहारा देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अवकाश पर जाने वाले बंधियों की मानसिक कुंठा दूर हो जाती है साथ ही इस वजह से उनके इस वजह शारीरिक विकार भी दूर होने लगते हैं। उनके जीवन में पश्चाताप का भाव तो आता ही है सार्थ ही शेष बचे जीवन के लिए मन में उत्साह और उमंग का संचार भी होने लगता है बंदी (अवकाश) पैरोल का लाभ लेने के कारण उनके जीवन व जीवन -स्तर में अकल्पनीय परिवर्तन दिखाई देते हैं। अवकाश या पैरोल का जब अन्य बंदी लाभ लेते हैं तो शेष बचे बंधियों के अंदर भी पैरोल अवकाश पर जाने की लालसा जागृत होती है यह भी वह भी अनुशासन में रहकर जेल की व्यवस्था में सहयोग करते हैं। सारांश यह है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंधियों के हितार्थ पैरोल की व्यवस्था की गई है प्रत्येक प्रकार से बंदी हितकारी है।

केंद्रीय सतना के पैरोल (अवकाश) जाने वाले बंधियों का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक चरित्र, विकास हो रहा है ऐसे बंदी आत्मनिर्भरता में भी अग्रसर हो रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की पैरोल एक सुविधा है जो किसी कारागार से जारी कारागार सजा काट रहे बंदी को उनकी सजा की अवधि के बाद अगर विशेष शर्तों पर विभाग द्वारा दी जाती है जिसका उद्देश्य यह होता है कि कारागार के दोषी व्यक्ति समाज में पुनः समाहित हो सके तथा समाज व परिवार के साथ रह सके पैरोल के अंतर्गत व्यक्ति को को विशेष शर्तों का पालन करना होता है सामाजिक सुधार के कार्यों भागीदारी करना जिससे व्यक्ति फिर से समाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके तथा जीवन में सुधार कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

मध्य प्रदेश राजपत्र में उल्लेखित नियम
केंद्रीय जेल सतना से मिली जानकारी